न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान हरिराम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 320 / 2025
निर्णय दिनांक 18/09/2025

हरिराम पुत्र सागर राम जाति ब्राह्मण निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा सात्यूं पटवार हल्का ढाणी कुम्हारान तहसील तारानगर के खाता संख्या 217 के खसरा सं. 589/243 तादादी 1.3467 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात रोही के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र सागरमल अंकित है जो गलत है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम हरिराम पुत्र सागर राम है। राजस्व रिकार्ड में भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्राथी का नाम हरिप्रसाद पुत्र सागरमल के बजाय हरिराम पुत्र सागर राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र सागरमल व हरिराम पुत्र सागर राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र सागर राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र सागरमल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा सात्यूं पटवार हल्का ढाणी कुम्हारान तहसील तारानगर के खाता संख्या 217 के खसरा सं. 589/243 तादादी 1.3467 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र सागरमल Delete कर इसके स्थान पर हरिराम पुत्र सागर राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner